

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 49/2020 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
माण्डलगढ जिला भीलवाडा | बनाम | 1. नूर मोहम्मद पिता कासम खां मुसलमान निवासी
माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला
भीलवाडा |
|--|------|--|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में
सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं — एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 10.10.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम तिरोली पटवार हल्का होडा की आ.न. 300/291, 301/291 किता 02 कुल रकबा 4.02 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय को दिनांक 03.05.1982 को कमाण्ड क्षेत्र में आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटन के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटन (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटन का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम तिरोली पटवार हल्का होडा की आ.न. 300/291, 301/291 किता 2 कुल



(Handwritten signature)

रकबा 4.02 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय को दिनांक 03.05.1982 को कमाण्ड क्षेत्र न आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम तिरोली के आ.न. 300/291, 301/291 किता 2 कुल रकबा 4.02 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय मौके पर आवंटि का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटि द्वारा राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर नूर मोहम्मद पिता कासम खां मुसलमान सा. देह के नाम आवंटित ग्राम तिरोली के आराजी नं. 300/291, 301/291 किता 02 कुल रकबा 4.02 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम तिरोली की आ.न. 300/291, 301/291 किता 02 कुल रकबा 4.02 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22-10-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

